[2019] 3 उम. नि. प. 418

हीराबाई (मृत) मार्फत विधिक प्रतिनिधिगण और अन्य

बनाम

रामनिवास बंशीलाल लखोटिया (मृत) मार्फत विधिक प्रतिनिधिगण और अन्य

[2019 की सिविल अपील सं. 4282]

25 अप्रैल, 2019

न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे और न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 133 [सपठित संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 54] – अपील – संयुक्त कुटुम्ब के कर्ता द्वारा वाद संपत्ति का विक्रय – वाद संपत्ति का विक्रय सद्भाविक तौर पर और कुटुम्ब की विधिक आवश्यकता एवं फायदे के लिए किया जाना – विक्रय को चुनौती देना – चुनौती खारिज होना – यदि अभिलेख पर के साक्ष्यों से यह साबित होता है कि वाद संपत्ति का विक्रय कुटुम्ब के कर्ता द्वारा सद्भाविक तौर पर और कुटुम्ब की विधिक आवश्यकता एवं फायदा के लिए किया गया है तो ऐसा विक्रय संबंधित संयुक्त कुटुम्ब के सभी सदस्यों पर आबद्धकर होगा और इस निमित्त निष्पादित विक्रय विलेख युक्तियुक्त और विधिमान्य होगा ।

वर्तमान मामले में, जालना शहर में 'मोती बिल्डिंग' नाम का एक भवन है, जिसमें चार गृहें समाविष्ट हैं, जिनमें से प्रत्येक की पृथक् संख्या अर्थात् 3484/3534, 3485/3535, 3486/3536 और 3487/3537 है । प्रतिवादी सं. 3/प्रत्यर्थी सं. 3 ने तारीख 7 अक्तूबर, 1965 को एक रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख द्वारा बंशीलाल शिवलाल को वाद संपत्ति का विक्रय किया था । बंशीलाल की मृत्यु होने पर इसमें के प्रतिवादी सं. 1 और 2/प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 ने बंशीलाल के उत्तराधिकारियों के रूप में वाद संपत्ति को उत्तराधिकार में ग्रहण किया और इस प्रकार, वे वाद संपत्ति के स्वामी हो गए थे । चूंकि, वाद संपत्ति के संबंध में, प्रतिवादी सं. 1 और 2 के साथ प्रतिवादी सं. 3 के बीच कुछ विवाद उद्भूत हुआ

था, इसलिए, इसमें के प्रतिवादी सं. 1 और 2/प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 ने प्रतिवादी सं. 3/प्रत्यर्थी सं. 3 शंकरलाल और अन्यों (वाद संपत्ति के किराएदारों) के विरुद्ध वर्ष 1971 में एक सिविल वाद, 1971 की सिविल वाद सं. 48 फाइल की । सिविल वाद, वाद संपत्ति में हक की घोषणा और वाद संपत्ति के संबंध में अस्थायी व्यादेश के लिए फाइल की गई थी । वाद का प्रतिवादी सं. 3 द्वारा विरोध किया गया । तारीख 31 जनवरी, 1975 के निर्णय/डिक्री द्वारा सिविल वाद (सं. 48/1971) प्रतिवादी सं. 1 और 2/प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 के पक्ष में डिक्री कर दी गई थी । विचारण न्यायालय ने अन्य बातों के साथ यह अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी सं. 1 और 2 वाद संपत्ति के स्वामी हैं । यह डिक्री अंतिम हो गई थी । इसके पश्चात् एक सिविल वाद, जिससे यह अपील उद्भूत हुई है, प्रतिवादियों (इसमें के प्रत्यर्थियों) के विरुद्ध फाइल की गई । वाद, यह घोषणा करने के लिए फाइल की गई थी कि सिविल वाद सं. 48/1971 में पारित तारीख 31 जनवरी, 1975 की डिक्री, दोनों वादियों पर आबद्धकर नहीं है और यह कि वाद संपत्ति के संबंध में, प्रतिवादी सं. 3/प्रत्यर्थी सं. 3 द्वारा प्रतिवादी सं. 1 और 2/प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 के पक्ष में निष्पादित तारीख 7 अक्तूबर, 1965 का विक्रय विलेख भी दोनों वादियों पर आबद्धकर नहीं है । विचारण न्यायालय ने तारीख 16 अक्तूबर, 1981 के निर्णय/डिक्री द्वारा वाद खारिज कर दिया और प्रतिवादी सं. 1 और 2 द्वारा उद्भूत आक्षेपों को कायम रखते हुए वादियों के विरुद्ध सभी विवाद्यकों का उत्तर दिया । वादियों ने व्यथित महसूस किया और द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रथम अपील फाइल की । प्रथम अपील न्यायालय ने तारीख 9 मई, 1988 के निर्णय द्वारा अपील खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर, वादियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील फाइल की । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा द्वितीय अपील खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर, वादियों ने विशेष इजाजत के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील फाइल की है । न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय के मत में, सभी तीनों न्यायालय (सिविल जज, प्रथम अपील न्यायालय और उच्च न्यायालय) प्रतिवादी सं; 1 और

2 द्वारा उद्धृत सभी तथ्यात्मक और विधिक विवाद्यकों पर दिए गए अपने कारणों और निष्कर्षों पर सही थे और न्यायालय, उनके कारणों और निष्कर्षों से भिन्न निष्कर्ष निकालने के लिए कोई अच्छा आधार नहीं पाता है । प्रथमत:, अपील में आक्षेपित निष्कर्ष समवर्ती प्रकृति का होने के नाते न केवल उच्च न्यायालय पर द्वितीय अपील का विनिश्चय करते समय आबद्धकर थे, और इस प्रकार आबद्धकर होना सही ही अभिनिर्धारित किया गया था और अपितु ऐसे निष्कर्ष इस न्यायालय पर भी आबद्धकर है, द्वितीयत:, अन्यथा भी सभी निष्कर्ष, तथ्यों और विधि के समुचित मूल्यांकन करने के पश्चात् अभिलिखित किए गए हैं और अतएव, उपर्युक्त सविस्तृत कारणों से इस अपील में कोई हस्तक्षेप करना अपेक्षित नहीं है । तृतीयत:, प्रश्नगत वाद, प्रकटत: वाद संपत्ति के संबंध में, प्रतिवादी सं. 3 के विरुद्ध सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा पारित तारीख 31 जनवरी, 1975 के विधिमान्य डिक्री के निष्पादन से बचने के लिए अपने दोनों बहनों और कुटुम्ब के माध्यम से प्रतिवादी सं. 3 की ओर से एक दुरभि:संधि वाद फाइल किया गया था । चतुर्थत:, पूर्ववर्ती वाद में विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों के पैरा 18 के प्रकाश में, वर्तमान वाद को सभी निचले न्यायालयों द्वारा सही ही खारिज किया गया है । विचारण न्यायालय द्वारा पैरा 18 में अभिलिखित निष्कर्षों को निम्नलिखित उद्धृत करना समुचित है – "18. विक्रय विलेख, शंकरलाल द्वारा निष्पादित किया गया है जो स्वीकृतत: कुटुम्ब का कर्ता है । प्रतिवादी सं. 1 के स्वयं के कथन के अनुसार, उसे विभिन्न व्यक्तियों से लिए गए ऋण के बकाए का संदाय करने के लिए धन की आवश्यकता थी । इसलिए, उसने बंशीलाल के पक्ष में गृह का विक्रय किया था । प्रतिवादी सं. 1 यह आक्षेप उद्धृत नहीं कर सकता है कि मोतीलाल के अन्य उत्तराधिकारियों को प्रतिवादियों के रूप में पक्षकार बनाया जाना चाहिए । यह स्व. मोतीलाल के अन्य उत्तराधिकारियों, यदि कोई हो, के लिए है कि वे समुचित उपचार का अवलंब लेते, यदि उन्हें यह महसूस हुआ होता कि वाद गृह का अन्य संक्रामण कुटुम्ब के हित में नहीं है । मोतीलाल के अन्य उत्तराधिकारियों को इस वाद में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं है । विवाद्यक सं. 8 का विनिश्चय प्रतिवादियों के विरुद्ध किया जाता है ।" न्यायालय के

मत में, पूर्वोक्त निष्कर्ष न केवल प्रतिवादी सं. 3 पर आबद्धकर है, अपितु उसी कुटुम्ब का सदस्य होने के नाते दोनों वादियों पर भी आबद्धकर है । पंचमतः, जब एक बार, यह अभिनिर्धारित कर दिया गया कि वाद संपत्ति का विक्रय कर्ता - प्रतिवादी सं. 3 द्वारा किया गया था और इसे कुटुम्ब की विधिक आवश्यकता और फायदा के लिए किया गया था तो वह कुटुम्ब के सभी सदस्यों जिनमें वादी सम्मिलित है, पर आबद्धकर हो गया था । षष्ठमतः, वादी यह अभिवाक् और साबित करने में असफल रहे कि प्रश्नगत विक्रय कुटुम्ब के फायदे के लिए नहीं था अथवा यह कि ऐसा विक्रय करने के लिए कोई विधिक आवश्यकता नहीं थी अथवा किस आधार पर वे वाद संपत्ति में अपने हिस्से का दावा कर रहे हैं । दूसरी ओर, प्रतिवादी सं. 1 और 2 यह साबित करने में सफल रहे हैं कि विक्रय, कुटुम्ब की विधिक आवश्यकता और फायदे के लिए किया गया था । सप्तमतः, वादियों ने स्वयं ही अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है कि उन्होंने प्रतिवादी सं. 3 - अपने सगे भाई की प्रेरणा पर सिविल वाद फाइल किया था । यह स्पष्टतः, उपदर्शित करता है कि वाद, सद्भाविक कारणों से फाइल नहीं किया गया था, अपितु इसे प्रतिवादी सं. 1 और 2 द्वारा प्रतिवादी सं. 3 के विरुद्ध प्राप्त विधिमान्य डिक्री से बचने और इसका निष्पादन करने से प्रतिवादी सं. 3 को बचाने के लिए वादियों द्वारा एक दुरभिसंधि वाद फाइल किया गया था । (पैरा 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26)

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2019 की सिविल अपील सं. 4282.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 133 के अधीन अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री विनय नावरे, ज्येष्ठ अधिवक्ता, सुधांशु एस. चौधरी, एम. के. देशपांडे, (सुश्री) सुरभि गुलेरिया, योगेश एस. कोल्टे और (सुश्री) नंदनी सिंगला, अधिवक्तागण

प्रत्यर्थियों की ओर से श्री निशांत रामाकांत राव कतनेश्वरकर, अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने दिया ।

न्या. सप्रे – इजाजत दी गई ।

2. यह अपील, बाम्बे उच्च न्यायालय के औरंगाबाद न्यायपीठ द्वारा 1988 की द्वितीय अपील सं. 177 में पारित तारीख 19 दिसम्बर, 2008 के अंतिम निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने इसमें के अपीलार्थी द्वारा फाइल द्वितीय अपील को खारिज कर दिया था और विचारण न्यायालय तथा प्रथम अपील न्यायालय के निर्णय को कायम रखा था ।

3. इस अपील का निपटारा करने के लिए यहां नीचे कुछ तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक है ।

4. यह अपील, दो मूल वादियों, जिनकी मृत्यु सिविल वाद फाइल करने के पश्चात् हो गई थी, के विधिक प्रतिनिधियों द्वारा फाइल की गई है ।

5. मूल दोनों वादी, प्रत्यर्थी सं. 3 (इसमें प्रत्यर्थी सं. 3 - शंकर लाल) की सगी बहने थीं और उनके पिता स्व. मोतीलाल थे ।

6. जालना शहर में 'मोती बिल्डिंग' नाम का एक भवन है, जिसमें चार गृहें समाविष्ट हैं, जिनमें से प्रत्येक की पृथक् संख्या अर्थात् 3484/3534, 3485/3535, 3486/3536 और 3487/3537 है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'वाद संपत्ति' कहा गया है)

7. प्रतिवादी सं. 3/प्रत्यर्थी सं. 3 ने तारीख 7 अक्तूबर, 1965 को एक रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख द्वारा बंशीलाल शिवलाल को वाद संपत्ति का विक्रय किया था । बंशीलाल की मृत्यु होने पर इसमें के प्रतिवादी सं. 1 और 2/प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 ने बंशीलाल के उत्तराधिकारियों के रूप में वाद संपत्ति को उत्तराधिकार में ग्रहण किया और इस प्रकार, वे वाद संपत्ति के स्वामी हो गए थे ।

8. चूंकि, वाद संपत्ति के संबंध में, प्रतिवादी सं. 1 और 2 के साथ प्रतिवादी सं. 3 के बीच कुछ विवाद उद्भूत हुआ था, इसलिए, इसमें के प्रतिवादी सं. 1 और 2/प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 ने प्रतिवादी सं. 3/प्रत्यर्थी सं. 3 शंकरलाल और अन्यों (वाद संपत्ति के किराएदारों) के विरुद्ध वर्ष 1971 में एक सिविल वाद, 1971 की सिविल वाद सं. 48 फाइल की ।

सिविल वाद, वाद संपत्ति में हक की घोषणा और वाद संपत्ति के संबंध में अस्थायी व्यादेश के लिए फाइल की गई थी । वाद का प्रतिवादी सं. 3 द्वारा विरोध किया गया ।

9. तारीख 31 जनवरी, 1975 के निर्णय/डिक्री द्वारा सिविल वाद (सं. 48/1971) प्रतिवादी सं. 1 और 2/प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 के पक्ष में डिक्री कर दी गई थी । विचारण न्यायालय ने अन्य बातों के साथ यह अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी सं. 1 और 2 वाद संपत्ति के स्वामी हैं । यह डिक्री अंतिम हो गई थी ।

10. इसके पश्चात् एक सिविल वाद, जिससे यह अपील उद्भूत हुई है, प्रतिवादियों (इसमें के प्रत्यर्थियों) के विरुद्ध फाइल की गई । वाद, यह घोषणा करने के लिए फाइल की गई थी कि सिविल वाद सं. 48/1971 में पारित तारीख 31 जनवरी, 1975 की डिक्री, दोनों वादियों पर आबद्धकर नहीं है और यह कि वाद संपत्ति के संबंध में, प्रतिवादी सं. 3/प्रत्यर्थी सं. 3 द्वारा प्रतिवादी सं. 1 और 2/प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 के पक्ष में निष्पादित तारीख 7 अक्तूबर, 1965 का विक्रय विलेख भी दोनों वादियों पर आबद्धकर नहीं है ।

11. वाद, अन्य बातों के साथ इन अभिकथनों पर आधारित था कि वाद संपत्ति कुटुम्ब की एक पैतृक संपत्ति थी, जिसमें दोनों वादियों - जो प्रतिवादी सं. 3/प्रत्यर्थी सं. 3 की बहनें हैं, का प्रतिवादी सं. 3 के साथ बराबर हिस्सा है । वादियों ने यह अभिकथित किया है कि चूंकि वाद संपत्ति का विक्रय तारीख 7 अक्तूबर, 1965 के विक्रय विलेख द्वारा प्रतिवादी सं. 3/प्रत्यर्थी सं. 3 को उनकी जानकारी, प्राधिकार और सहमति के बिना किया गया था, इसलिए, वह वादियों के हिस्से की सीमा तक अकृत और शून्य है । वादियों ने यह भी अभिकथित किया है कि चूंकि दोनों वादी, 1971 की सिविल वाद सं. 48 के पक्षकार नहीं थे, इसलिए, उक्त वाद में पारित तारीख 31 जनवरी, 1975 की डिक्री न तो उन पर आबद्धकर है न ही ऐसी डिक्री से वाद संपत्ति में उनके अधिकार, हक और हित प्रभावित होते हैं ।

12. वाद लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी सं. 3/प्रत्यर्थी सं. 3 की

पत्नी, पुत्र और पुत्रियां भी या तो वादियों के रूप में अथवा प्रतिवादियों के रूप में, कुछ प्रारंभ से ही और कुछ अन्य, वाद के प्रक्रम पर सिविल वाद में पक्षकार बन गए । प्रत्यर्थी सं. 3, उसकी पत्नी, पुत्र और पुत्रियों ने वादियों के वाद का समर्थन किया ।

13. वाद का विरोध मात्र प्रतिवादी सं. 1 और 2 जो प्रतिवादी सं. 3 से वाद संपत्ति के क्रेता थे, ने ही विरोध किया ।

14. प्रतिवादी सं. 1 और 2 के अनुसार, प्रथमत:, वाद, परिसीमा अवधि द्वारा वर्जित था क्योंकि इसे तारीख 31 जनवरी, 1975 की डिक्री की तारीख से 3 वर्षों के पश्चात् फाइल किया गया था, द्वितीयत:, यह विधि में दूषित था क्योंकि वादी कुटुम्ब द्वारा धारित संपूर्ण संपत्तियों के संबंध में विभाजन कराने में असफल रहे, तृतीयत:, यह एक दुरभि:संधि वाद था जो उसके विरुद्ध डिक्री का निष्पादन से बचने के लिए प्रतिवादी सं. 3/प्रत्यर्थी सं. 3 की प्रेरणा पर फाइल किया गया था, चतुर्थत:, 1971 की सिविल वाद सं. 48 में पारित तारीख 31 जनवरी, 1975 की डिक्री भी, तारीख 31 जनवरी, 1975 के निर्णय में ही सिविल न्यायालय द्वारा अभिलिखित सुस्पष्ट निष्कर्षों के प्रकाश में, दोनों वादियों पर आबद्धकर था, पंचमत:, किसी भी दशा में दोनों वादियों का वाद संपत्ति में कोई अधिकार, हक और हित नहीं था, षष्टमत: अन्यथा भी कुटुम्ब के कर्ता अर्थात् प्रतिवादी सं. 3 द्वारा कुटुम्ब के फायदे और विधिक आवश्यकता में किया गया वाद संपत्ति का विक्रय, दोनों वादियों सहित कुटुम्ब के सभी सदस्यों पर आबद्धकर था, सप्तमत:, सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को चुनौती देने वाला वाद कायम रखे जाने योग्य नहीं है ।

15. विचारण न्यायालय ने तारीख 16 अक्तूबर, 1981 के निर्णय/डिक्री द्वारा वाद खारिज कर दिया और प्रतिवादी सं. 1 और 2 द्वारा उद्भूत आक्षेपों को कायम रखते हुए वादियों के विरुद्ध सभी विवाद्यकों का उत्तर दिया । वादियों ने व्यथित महसूस किया और द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रथम अपील फाइल की । प्रथम अपील न्यायालय ने तारीख 9 मई, 1988 के निर्णय द्वारा अपील खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर, वादियों ने उच्च न्यायालय के

समक्ष द्वितीय अपील फाइल की । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा द्वितीय अपील खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर, वादियों ने विशेष इजाजत के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील फाइल की है ।

16. इस प्रकार, संक्षिप्त प्रश्न, जो इस अपील में विचार के लिए उद्भूत हुआ है, यह है कि क्या उच्च न्यायालय वादियों की द्वितीय अपील खारिज करने में न्यायोचित था और तद्द्वारा, विचारण न्यायालय और प्रथम अपील न्यायालय के निर्णय को कायम रखना न्यायोचित था जिसके परिणामस्वरूप, वाद खारिज कर दिया गया था ।

17. अपीलार्थियों के विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री विनय नावरे और प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउंसेल श्री निशांत रामाकांत राव कतनेश्वरकर को सुना ।

18. पक्षकारों के विद्वान् को सुनने और मामले के अभिलेखों का परिशीलन करने के पश्चात्, हम, इस अपील में कोई गुणागुण नहीं पाते हैं ।

19. हमारे मत में, सभी तीनों न्यायालय (सिविल जज, प्रथम अपील न्यायालय और उच्च न्यायालय) प्रतिवादी सं; 1 और 2 द्वारा उद्भूत सभी तथ्यात्मक और विधिक विवाद्यकों पर दिए गए अपने कारणों और निष्कर्षों पर सही थे और हम, उनके कारणों और निष्कर्षों से भिन्न निष्कर्ष निकालने के लिए कोई अच्छा आधार नहीं पाते हैं ।

20. प्रथमत:, अपील में आक्षेपित निष्कर्ष समवर्ती प्रकृति का होने के नाते न केवल उच्च न्यायालय पर द्वितीय अपील का विनिश्चय करते समय आबद्धकर थे, और इस प्रकार आबद्धकर होना सही ही अभिनिर्धारित किया गया था और अपितु ऐसे निष्कर्ष इस न्यायालय पर भी आबद्धकर है, द्वितीयत:, अन्यथा भी सभी निष्कर्ष, तथ्यों और विधि के समुचित मूल्यांकन करने के पश्चात् अभिलिखित किए गए हैं और अतएव, उपर्युक्त सविस्तृत कारणों से इस अपील में कोई हस्तक्षेप करना अपेक्षित नहीं है ।

21. तृतीयत:, प्रश्नगत वाद, प्रकटत: वाद संपत्ति के संबंध में,

प्रतिवादी सं. 3 के विरुद्ध सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा पारित तारीख 31 जनवरी, 1975 के विधिमान्य डिक्री के निष्पादन से बचने के लिए अपने दोनों बहनों और कुटुम्ब के माध्यम से प्रतिवादी सं. 3 की ओर से एक दुरभिसंधि वाद फाइल किया गया था ।

22. चतुर्थतः, पूर्ववर्ती वाद में विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों के पैरा 18 के प्रकाश में, वर्तमान वाद को सभी निचले न्यायालयों द्वारा सही ही खारिज किया गया है । विचारण न्यायालय द्वारा पैरा 18 में अभिलिखित निष्कर्षों को निम्नलिखित उद्धृत करना समुचित है :-

> "18. विक्रय विलेख, शंकरलाल द्वारा निष्पादित किया गया है जो स्वीकृततः कुटुम्ब का कर्ता है । प्रतिवादी सं. 1 के स्वयं के कथन के अनुसार, उसे विभिन्न व्यक्तियों से लिए गए ऋण के बकाए का संदाय करने के लिए धन की आवश्यकता थी । इसलिए, उसने बंशीलाल के पक्ष में गृह का विक्रय किया था । प्रतिवादी सं. 1 यह आक्षेप उद्भूत नहीं कर सकता है कि मोतीलाल के अन्य उत्तराधिकारियों को प्रतिवादियों के रूप में पक्षकार बनाया जाना चाहिए । यह स्व. मोतीलाल के अन्य उत्तराधिकारियों, यदि कोई हो, के लिए है कि वे समुचित उपचार का अवलंब लेते, यदि उन्हें यह महसूस हुआ होता कि वाद गृह का अन्यसंक्रामण कुटुम्ब के हित में नहीं है । मोतीलाल के अन्य उत्तराधिकारियों को इस वाद में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं है । विवाद्यक सं. 8 का विनिश्चय प्रतिवादियों के विरुद्ध किया जाता है ।"

23. हमारे मत में, पूर्वोक्त निष्कर्ष न केवल प्रतिवादी सं. 3 पर आबद्धकर है, अपितु उसी कुटुम्ब का सदस्य होने के नाते दोनों वादियों पर भी आबद्धकर है ।

24. पंचमतः, जब एक बार, यह अभिनिर्धारित कर दिया गया कि वाद संपत्ति का विक्रय कर्ता - प्रतिवादी सं. 3 द्वारा किया गया था और इसे कुटुम्ब की विधिक आवश्यकता और फायदे के लिए किया गया था तो वह कुटुम्ब के सभी सदस्यों जिनमें वादी सम्मिलित है, पर आबद्धकर

हो गया था ।

25. षष्ठमतः, वादी यह अभिवाक् और साबित करने में असफल रहे कि प्रश्नगत विक्रय कुटुम्ब के फायदे के लिए नहीं था अथवा यह कि ऐसा विक्रय करने के लिए कोई विधिक आवश्यकता नहीं थी अथवा किस आधार पर वे वाद संपत्ति में अपने हिस्से का दावा कर रहे हैं । दूसरी ओर, प्रतिवादी सं. 1 और 2 यह साबित करने में सफल रहे हैं कि विक्रय, कुटुम्ब की विधिक आवश्यकता और फायदे के लिए किया गया था ।

26. सप्तमतः, वादियों ने स्वयं ही अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है कि उन्होंने प्रतिवादी सं. 3 - अपने सगे भाई की प्रेरणा पर सिविल वाद फाइल किया था । यह स्पष्टतः, उपदर्शित करता है कि वाद, सद्भाविक कारणों से फाइल नहीं किया गया था, अपितु इसे प्रतिवादी सं. 1 और 2 द्वारा प्रतिवादी सं. 3 के विरुद्ध प्राप्त विधिमान्य डिक्री से बचने और इसका निष्पादन करने से प्रतिवादी सं. 3 को बचाने के लिए वादियों द्वारा एक दुरभिसंधि वाद फाइल किया गया था ।

27. पूर्ववर्ती चर्चा/कारणों के प्रकाश में, हम आक्षेपित आधार में हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा आधार नहीं पाते हैं, जो विवाद्यकों को शासित करने वाले तथ्यों और विधि के समुचित मूल्यांकन पर आधारित है ।

28. इसलिए, अपील गुणागुण रहित है । तद्नुसार, इसे खारिज किया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

क.